



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 312 राँची, शुक्रवार, 12 आषाढ़, 1942 (श०)
3 जुलाई, 2020 (ई०)

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

29 जून, 2020

अधि. संख्या-06/रा.व्या.-02/2020- 1714/व०प०,-- राज्य में ग्रामीणों को उनकी निजी भूमि पर टिंबर प्रजाति तथा फलदार पौधे लगाने हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। लगाए गए पेड़ों का स्वामित्व भी रैयतों के अधीन है। राज्य में कृषि वानिकी को बढ़वा देने के निमित्त निजी भूमि पर रोपित पौधों के परिवहन हेतु परिवहन अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता से मुक्त कर देने से राज्य में कृषि वानिकी को बढ़वा मिलेगा। अतएव वनोंपज (अभिवहन का विनियमन) नियमावली 2020 के नियम-4(ख) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत कुल 19 (उन्नीस) प्रजाती के काष्ठ को परिवहन अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता से मुक्त किया जाता है:-

क्र० सं०	काष्ठ/वृक्ष कानाम	प्रजाति का नाम
1	युकलिप्टस(सफेदा)	युकलिप्टस की सभी प्रजातियां
2	पोपलर	पापुलस प्रजातियां
3	कैजूरिना	कैजूरिना इक्विजिटीफोलिया
4	महानीम(घुड़करंज)	ऐलेन्थस एक्सेल्सा
5	बकैन	मेलिया अजाहिरेक्टा
6	कदम	एन्थोसेफलस कदम्बा
7	सुबबूल	ल्यूसिनिया ल्यूकोसिफेला
8	सिल्वरओक	ग्रेवेलिया रोबस्टा
9	इजरायली बबूल	एकेशिया टॉरटिलिस
10	विलायती बबूल	प्रोसोपिस जूलीफलोरा
11	बबूल	अकेशिया टॉरटिलिस
12	पाम	पाम प्रजातियां
13	बेर	जिजीफस जुजुबा
14	शहतूत	मोरस अल्बा
15	अमरूद	साइडियम गुआवा
16	नीम्बू,संतरा, मौसम्बी	सिट्रस प्रजातियां
17	मुनगा	मोरिगा ऑलिफरा
18	अशोक	पालिएल्यिआ लांगीफोलिया, सराका असोका
19	बाँस	बाँस की प्रजातियां डेंड्रोकेलेमस स्ट्रिक्टस (लाठीबाँस) को छोड़कर

- (2) मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 17.06.2020 के मद संख्या 25 के रूप में स्वीकृत प्राप्त है।
- (3) यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू मानी जायेगी।

ह०/-

अमरेन्द्र प्रताप सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।
